आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Agriculture Department (Plant Protection and Marketing)

Establishment of Oil Mill Unit (Tel Prasanskaran Ikai ki Sthapana), Bihar

बिहार का कृषि विभाग किसान समूहों, कंपनियों, स्टार्ट-अप और व्यक्तियों को तेलहन प्रसंस्करण और तेल निकालने की इकाई (तेल मिल) लगाने में मदद देता है।

क्या मिल सकता है

बताई गई 10 टन क्षमता की तेल मिल इकाई के लिए परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या 9.90 लाख रुपये, जो कम हो, सब्सिडी। सब्सिडी 50-50 प्रतिशत की दो किस्तों में मिलती है।

किसके लिए है

सरकारी या निजी उद्योग, किसान उत्पादक समूह, पंजीकृत तेलहन स्टार्ट-अप, सहकारी समितियां, कंपनियां और 21 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तिगत किसान।

मुख्य शर्तें

- योजना के पेज के अनुसार आवेदन सभी जिलों के लिए है।
- बैंक ऋण जरूरी है: आपको बैंक ऋण का प्रमाण या बैंक खाते के लेन-देन की कॉपी दिखानी होगी।
- प्रवर्तक को लागत का कम से कम 15 प्रतिशत लगाना होगा, और व्यक्ति के रूप में परिवार का केवल एक सदस्य आवेदन कर सकता है।
- एफपीओ और ग्राम उत्पादक समूह कम से कम 2 साल से पंजीकृत हों, और मशीनें बीआईएस मानक की हों।
- एफएसएसएआई और अन्य कानूनी मंजूरियां जरूरी हैं, और संपत्ति कम से कम 3 साल रखनी होगी।

दस्तावेज़

- बैंक ऋण का प्रमाण, या आपके बैंक खाते के लेन-देन की कॉपी

आवेदन कैसे करें

1. पात्रता का पेज पढ़ें और पक्का करें कि सभी शर्तें पूरी हैं, क्योंकि सभी जरूरी हैं।
2. चरण 1: कृषि विभाग के पोर्टल पर योजना के पेज पर पंजीकरण करें।
3. चरण 2: आवेदन फॉर्म पर जाएं और डीबीटी पोर्टल पर बताई गई अवधि में ऑनलाइन आवेदन करें।

स्थिति

आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2026

आधिकारिक स्रोत: https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/POP/home/EligibilityOilMill.html
आधिकारिक आवेदन: https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/POP/home/EligibilityOilMill.html
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/bihar/br-oil-mill-unit-establishment/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।